

कार्यालय बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा

पत्रांक : /यो०भू०सं०- /दिनांक:

आवंटन-पत्र

कृपया पूर्व में योजना हेतु आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि रू० जमा की गयी थी। पंजीकरण के सापेक्ष दिनांक को सम्पन्न लाटरी द्वारा आपको निम्नलिखित भूखण्ड आवंटित हुआ था जिसके सम्बन्ध में मुख्य शर्तें एवं भुगतान पद्धति का विवरण निम्नवत् है :-

1. पंजीयन पुस्तिका के अनुसार आपको आवंटित भूखण्ड का सामान्य प्रारम्भिक मूल्य रू० है। पंजीयन पुस्तिका अनुसार लाटरी द्वारा आवंटन के पश्चात् 30 प्रतिशत रू० आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिन में जमा करना होगा। आवंटन धनराशि निर्धारित समय में जमा न करने की दशा में 16 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज देय होगा, जो तीन माह तक मान्य होगा। उसके उपरान्त दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
2. भूखण्ड के मूल्य की अवशेष धनराशि समान छैमाही किस्तों में प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। प्रत्येक किस्त की धनराशि ब्याज सहित रू० है। प्रथम किस्त की देयता आवंटन पत्र की तिथि से माह की अवधि तक होगी।
3. आवंटी को भूखण्ड के वास्तविक माप के अनुसार कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, 18मीटर व 30 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 10 प्रतिशत एवं पार्क फेसिंग पर 05 प्रतिशत का भुगतान अतिरिक्त रूप से करना अनिवार्य होगा।
4. आवंटन उपरान्त एकमुस्त धनराशि (आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30दिन के अन्दर) जमा करने पर भूखण्ड की कुल धनराशि में 05प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
5. आवेदक/आवंटी को भूखण्ड आवंटित होने पर उसे उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या-2 या 4 जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समय के अन्दर भुगतान नहीं होता है तो आवंटन धनराशि जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से वास्तव में भुगतान करने की तिथि तक 16 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा उस दर पर जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी, भुगतान करना होगा।
6. निर्धारित किस्तों का उपरोक्तानुसार नियमित भुगतान न करना आवंटन की शर्तों की अवहेलना के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को है।
7. आवंटन के उपरान्त निर्धारित राशि नियत समय (30 दिन के अन्दर) जमा न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप भूखण्ड लेने के इच्छुक नहीं है और आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा कुल धनराशि से 10 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि रेखांकित चेक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
8. पंजीयन पुस्तिका में अंकित/दिये गये निर्देशों के अनुसार दायित्वों का निर्वाह करना अनिवार्य है। वास्तविक मापानुसार एवं आंकलन अनुसार वास्तविक देयता की सूचना आवंटी को दी जायेगी। यदि डिक्लीटल राशि के कारण कोई संशोधन होता है तो उसके आधार पर भी संशोधन किया जायेगा। जिसके भुगतान का दायित्व भी आवंटी का होगा।
9. विलम्ब पर ब्याज 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। जैसा की पंजीयन पुस्तिका में अंकित है।
10. आवंटी को भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग हेतु दिया जायेगा। किसी अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा।
11. आवंटी को भूखण्ड के हिस्सों में विभाजन अथवा अपने हिस्से में अन्य सम्पत्ति जोड़ने का अधिकार नहीं होगा।
12. आवंटी को विलेख निष्पादन हेतु समस्त व्यय वहन करना होगा। आवंटी को रजिस्ट्री होने के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा प्रदान किया जायेगा।
13. आवंटी द्वारा भूखण्ड की कुल लागत की 12 प्रतिशत धनराशि लीज रेन्ट/फ्री होल्ड चार्ज अनिवार्य रूप से जमा करना अनिवार्य होगी। किसी भी विवादित मामले में उपाध्यक्ष, प्राधिकरण बाँदा का निर्णय अन्तिम होगा।
14. आपके द्वारा जमा धनराशि पर देय ब्याज (यदि कोई हो) का समायोजन भूखण्ड के अन्तिम मूल्यांकन में (रजिस्ट्री कराते समय) किया जायेगा।

सचिव

बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा